**अपील सूचना अधिकार संख्या 71/2019 (RCMS 2019/00205) श्री महेश सैनी पुत्र ओमप्रकाश वार्ड नं. 19, एस.बी.आई. बैंक वाली गली, उत्तम नगर, सूरतगढ (मोबाईल नं 94605--60275) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**30.09.2019**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** श्री महेश सैनी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष दिनांक 06.08.2019 को सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 01 बिन्दु की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

**मैनें पत्रावली का अवलोकन** किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री महेश सैनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

> आपके अधीनस्थ नगरपालिका, सूरतगढ से बीकानेर रोड़, सूरतगढ में रेणू बहक सुदेश रानी, रेणु बहक गीता सिड़ाना आदि को नगरपालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति मय नक्शा की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि।

**उक्त अपील पत्र के** संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ अपील पत्र का आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया है परन्तु अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के पत्रांक सम/1592 दिनांक 08.08.2019 की प्रति शामिल की है जो मूल रूप से अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ को लिखा गया है और प्रति अपीलार्थी को भिजवाते हुए निम्नानुसर जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी महेश सैनी पुत्र श्री ओम प्रकश वार्ड नं. 19, एस.बी.आई. बैंक वाली गली, उत्तम नगर, सूरतगढ का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2019 दिनांक 07.08.2019 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा चाही सूचना का सम्बन्ध आपके कार्यालय से होने के कारण उक्त मूल आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया जा रहा है। प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराई जावे। आवेदन शुल्क 10/– पीपीओ नम्बर 46एफ 865206 इस कार्यालय में जमा कर लिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध नगरपालिका, सूरतगढ से है, इस कारण से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नगरपालिका, सूरतगढ को समय सीमा में स्थानान्तरित कर दिया था इसलिए अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी वांछित सूचनाओं हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ से सम्पर्क कर सकता है अथवा सक्षम अथोरिटी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए वह स्वतन्त्र है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर